

२४/२५

वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी
स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति
बावजूद कोई कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-
बार आवाज लगावाई गई। अतः यह वाद-
पक्ष अदम्य पेशी अदम्य हाजरी से खारिज
किया जाता है।

पञ्चावली निर्णय में शुमार की जाकर
नम्बर से कम हो तथा तबतीष तकमिल होकर
दाखिल दफ्तर हो।

Legend

उपखण्ड अधिकारी

तारानगर(चूरु)